

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

115

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1603

दिनांक : 28/2/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार :- जैन महाविद्यालय भिण्ड को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित, B.S.C., (F.C., Zoology, Maths, Biotech., Chemistry, Physics, Military Sc.) Add. Micro Biology, Biotech, Compute Sc), B.Com (Comp. Appli.), M.S.C. (Military SCIENCE, M.Com, P.G.D.C.A पाठ्यक्रम) के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. 28(17) के अलावा महाविद्यालय द्वारा पूर्व में लगाई शर्तों का पालन कर लिया है।
2. म.प्र. शासन की नीतियों द्वारा उक्त वाधाओं के कारण एवं अनुमति प्रदान होने के कारण 28(17) में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति नहीं करा पा रहे हैं। परन्तु जब भी 28(17) में नियुक्तियों की जावें उस समय यह ध्यान आवश्यक रखा जावे कि विज्ञान के विषयों में क्रम से एक-दो शिक्षकों की नियुक्तियों की जावे।
3. चूंकि महाविद्यालय भिण्ड शहर का सबसे प्राचीन महाविद्यालय है इसलिये महाविद्यालय इस वर्ष हेतु अस्थाई सम्बद्धता हेतु अनुशंसा की जाती है।
4. 15 कम्प्यूटर और क्रय किये जावें क्योंकि महाविद्यालय में छात्र संख्या लगभग 2 से 2 ½ हजार है।

अर्देशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य जैन महाविद्यालय भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)